अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

सत्यमेव जयते

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/22/2021-22

31 मई, 2022

सेवा में,

श्री लक्ष्मन प्रसाद मद्धेशिया,
पुत्र स्व0 श्री जवाहिर मद्धेशिया,
ग्राम व पोस्ट-टेकुआटार, पुरानी बाजार,
वि0ख0-रामकोला, तहसील-कसया,
जनपद-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु ।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया अपने दिनांक 24.05.2022 के पत्र जो कि इस सचिवालय में 26.05.2022 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ 10/-रूपये का पो.आ. संख्या 52F 034894 संलग्न कर अपने दिनांक शून्य के आवेदन पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपका दिनांक 22.03.2022 एवं दूसरा पत्र दिनांक शून्य का आवेदन क्रमश: दिनांक 01.04.2022 दिनांक 04.05.2022 को श्रीयुत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को उचित ध्यानाकर्षण हेतु अग्रसारित किया गया था (प्रति संलग्न) तथा उसकी एक प्रति आपको भी इस आशय के साथ प्रेषित की गयी थी कि भविष्य में आप श्रीयुत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से सीधे संपर्क करें।

अत: आपको पुन: सलाह दी जाती है कि इस विषय में आप श्रीयुत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से संपर्क करने का कष्ट करें।

धन्यवाद,

भवदीय,

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

RTI No. 22

सेवा में,

श्रीमान् जन सूचना अपीलीय प्राधिकारी महोदय
माननीयजी श्री प्रेसीडेन्ट प्रधान प्रमुख सचिव महोदय
उपराष्ट्रपति भवन भारत सरकार नई दिल्ली

विषयः– <u>सूचना का अधिकार कानून अधिनियम– 2005 के तहत आवेदन पत्र पर सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय्

सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थी लक्षमन प्रसाद मद्धेशिया पुत्र स्व0 जवाहिर मद्धेशिया, ग्राम व पोस्ट–टेकुआटार, पुरानी बाजार, वि0ख0–रामकोला, तहसील–कसया, जनपद–कुशीनगर का निवासी हूँ। जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम–2005 के तहत 10 बिन्दु पर निम्नलिखित सूचना विवरण सहित संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत शीघ्र 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने की आपेक्षा करता हूँ–

1. यह कि जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम–2005 के तहत दिनांकः 15–03–2022 को और दिनांकः 22–03–2022 को महामहिम जी एवं मा0 जी के नाम दिनांकः 13–04–2022 को प्रमुख सचिव के नाम अलग अलग विषय पर तीन–तीन सेट प्रार्थना पत्र आपके सेवा समक्ष आपके कार्यालय में प्रस्तुत किया जिसमें समस्त संलग्न छायाप्रति उपलब्ध कराये थे
2. यह कि जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम–2005 के तहत दिनांकः 22–04–2022 को महामहिम एवं मा0 जी के नाम से अलग–अलग विषय पर तीन–तीन सेट समस्त छायाप्रति साक्ष्य संलग्न अवलोकन कर आपके सेवा समक्ष आपके कार्यालय में प्रस्तुत किया था।
3. यह कि जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम–2005 के तहत दिनांकः 05–05–2022 को मा0 महामहिम महोदय को एवं दिनांकः 06–05–2022 को मा0 मुख्यमंत्री महोदय के जनता दरबार में शाम को मुख्य सचिव महोदय के नाम से अलग–अलग विषय पर चार–चार सेट समस्त छायाप्रति साक्ष्य संलग्न कर आपके समक्ष आपके कार्यालय में प्रस्तुत किये थे।
4. यह कि जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम–2005 के तहत अपने क्षेत्र के विकास हेतु निम्न कार्य के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार से 39 करोड़ धन स्वीकृत कराने के लिये आपसे अनुरोध किया आप इस पर अपने स्तर से क्या कार्यवाही किये है, मुझे शीघ्र अपने स्तर से लिखित जबाव दीजिये।
5. यह कि जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम–2005 के तहत शासन के इन अधिकारियों के एक दिवसीय कार्यक्रम दिलाने हेतु आदेश के लिये आपसे अनुरोध किये इस पर आप क्या कार्यवाही किये हैं मुझे इस पर अपने स्तर से लिखित जबाव दीजिये।
6. यह कि यह कि जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम–2005 के तहत शासन मण्डल, जनपद स्तर के इन सभी अधिकारियों को क्षेत्रीय अनके समस्याओं के शीघ्र समाधान हेतु जमीन पर उतारने हेतु आपसे अनुरोध किये, आपके कार्यालय के आदेश पर उसका पालन नहीं हुआ, उक्त विषय पर आप अपने स्तर से क्या कार्यवाही किये है। आप अपने स्तर से मुझे लिखित जबाव दीजिये।

US(H) 24/5.

7. यह कि जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम–2005 के तहत सी0एम0 योगी जी मेरे मांगे पत्र पर बिना ध्यान दिये समाज उत्थान विकास कार्य में भेद–भाव अनदेखी उपेक्षा गुमराह एवं परेशान करने के नियत से जनपद कुशीनगर के विकास सम्बन्धित प्रकरण उठाकर वाराणसी डी0एम0 को आदेश कर भेज दिया गया। आपसे इस विषय पर कार्यवाही हेतु संज्ञान लेने के लिए अनुरोध किये। आप इस पर अपने स्तर से क्या कार्यवाही किये है, मुझे शीघ्र इसका लिखित जबाव दीजिये।

8. यह कि जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम–2005 के तहत मेरे मांग पत्र में दिये गये क्षेत्रीय समस्याओं को स्थानीय क्षेत्रीय स्तर जमीन पर उतारने एवं पूरा कराने के बजाय मौके पर कार्य स्थल का बिना मौका मोआइना जॉच कराये आफिस में बैठ कर कागजी खानापूर्ति निस्तारण कार्यवाही कर फर्जी आख्या दिया गया है। इस पर आपसे जॉच कार्यवाही हेतु अनुरोध किया, इस पर आप अपने स्तर से क्या कार्यवाही किये है। मुझे शीघ्र इसका लिखित जबाव दीजिये।

9. यह कि जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम–2005 के तहत मेरे मांग पत्र में दिये सावर्जनिक सामूहिक रूप से जनहित के क्षेत्रीय समस्याओ पर यह सी0एम0 योगी सरकार ध्यान देने गम्भीरता से अपने संज्ञान में लेने का प्रयास इस पर शीघ्र आवश्यक प्रभावी कदम उठाने में अनदेखी व उपेक्षा भेद–भाव, विलम्ब, घोर लापरवाहीं कर रही है, इस प्रकरण पर आपसे कार्यवाही हेतु अनुरोध किये, इस पर आप अपने स्तर से क्या कार्यवाही किये है। मुझे शीघ्र इसका लिखित जबाव दीजिये।

10. यह कि जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम–2005 के तहत मेरे मांग के पत्रों में दिये सभी कार्यो को शीघ्र पूरा कराने के लिए शासन मण्डल जनपद स्तर के इन सभी अधिकारियो को मौके पर जॉच के लिए जमीन पर उतारने में घोर लापरवाहीं विलम्ब के कारण पर आपसे कार्यवाही हेतु अनुरोध किये, इस पर आप सरकार के खिलाफ क्या कार्यवाही किये है। मुझे शीघ्र इसका लिखित जबाव दीजिये।

अतः श्रीमान् जी से सादर अनुरोध है कि उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर मांगी गयी कार्यावाही सूचना को शुल्क आहरित कर, सूचना का अधिकार कानून अधिनियम– 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने की कृपा प्रदान किया जावें।

जनसूचना अधिकारी के सूचना कार्यवाही से हम प्रार्थी सतुंष्ट एवं सहमत नहीं है। आप एक जिम्मेदार आफिसर है। आपकी जबाव देहीं प्रत्येक स्तर पर तय होनी है। इसके लिए सही जबाव देने की कृपा करें।

भवदीय
लक्ष्मण प्रसाद मद्धेशिया

लक्षमन प्रसाद मद्धेशिया पुत्र स्व0 जवाहिर मद्धेशिया,
ग्राम व पोस्ट–टेकुआटार, पुरानी बाजार,
वि0ख0–रामकोला, तहसील–कसया,
जनपद– कुशीनगर
दिनांकः 24-5-2022- 9654216844 मो0 न0

प्रतिलिपिः– निम्नवत् को आवश्यक कार्यवाही सूचना उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

1. श्रीमान् केन्द्रीय मुख्य आयुक्त महोदय
2. श्रीमान् मुख्य सूचना आयुक्त महोदय
3. जनसूचना अपीलीय प्राधिकारी महोदय
4- श्री0 प्रधान मुख्य उच्च सर्वोच्च न्यायधीश महोदय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

सत्यमेव जयते

फाइल संख्या वीपीएस 01.04.2022 (पी)

01 अप्रैल, 2022

श्रीयुत मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

प्रिय महोदय,

माननीय उपराष्ट्रपति जी को संबोधित श्री लक्ष्मण प्रसाद मद्धेशिया, ग्राम व पोस्ट-टेकुआटार, पुरानी बाजार, थाना-ब्लाक समकोला, तहसील-कसया, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का दिनांक 22.03.2022 का पत्र इस सचिवालय में 22.03.2022 को प्राप्त हुआ है।

अत: पूर्ण विवरण युक्त इनका पत्र उचित कार्यवाही/ध्यानाकर्षण हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है।

धन्यवाद

भवदीय,

(हुरबी शकील)

प्रति सूचनार्थ-
श्री लक्ष्मण प्रसाद मद्धेशिया, ग्राम व पोस्ट-टेकुआटार, पुरानी बाजार, थाना-ब्लाक समकोला, तहसील-कसया, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश कृपया पत्र के संदर्भ में श्रीयुत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से संपर्क करें।

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या वीपीएस 04.05.2022 (पी)

04 मई, 2022

श्रीयुत मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

प्रिय महोदय,

माननीय उपराष्ट्रपति जी को संबोधित श्री लक्ष्मण प्रसाद मद्धेशिया, ग्राम व पोस्ट-टेकुआटार, पुरानी बाजार, थाना-ब्लाक समकोला, तहसील-कसया, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का दिनांक .... का पत्र इस सचिवालय में 22.04.2022 को प्राप्त हुआ है।

अत: पूर्ण विवरण युक्त इनका पत्र उचित कार्यवाही/ध्यानाकर्षण हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है।

धन्यवाद

भवदीय,

/

(हुरबी शकील)

प्रति सूचनार्थ-
श्री लक्ष्मण प्रसाद मद्धेशिया, ग्राम व पोस्ट-टेकुआटार, पुरानी बाजार, थाना-ब्लाक समकोला, तहसील-कसया, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश कृपया पत्र के संदर्भ में श्रीयुत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से संपर्क करें।

हुरबी शकील
(हुरबी शकील)